बिहार सरकार

कार्यालय,जिला शिक्षा पदाधिकारी,बक्सर

(माध्यमिक शिक्षा)

बक्सर जिलान्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रुप में कार्य करने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते है

आवेदन दिनांक 17 जुलाई 2023 से 20 जुलाई 2023 तक 11:00 बजे से 04:00 बजे के बीच (सरकारी अवकाश को छोड़कर) अनिवार्य रूप से "जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजकीय बुनियादी विद्यालय परिसर, स्टेशन रोड, बक्सर" में हाथों हाथ स्वीकार किये जायेगें। इस तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आहर्त्ता–

1. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।
2. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थी, जो एस0टी0ई0टी0 पेपर (पेपर –II) उत्तीर्ण हो, उन्हे मेधा सुची/पैनल में प्रथम वरीयता दी जायेगी।
3. संकल्प में निर्दिष्ट विषय के +2 स्तरीय सेवानिवृत शिक्षकों जिनकी आयु 65 वर्ष तक हो को द्वितीय वरीयता दी जायेगी।
4. स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को तृतीय वरीयता दी जाएगी।
5. एम0टेक /बी0टेक0 योगयताधारी बी0एड0 प्रशिक्षित उम्मीदवारों के गणित,भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषयों के लिए उपरोक्त तीनो श्रेणी में योग्य अभ्यर्थी के अनुपलब्धता की स्थिति में मेधा सूची/पैनल में शामिल किया जायेगा।

नोट:–

1. चयनित अभ्यर्थियों के लिए 1000/– (एक हजार रुपयें) प्रति दिवस की दर से अधिकतम 25000/–(पचीस हजार रुपयें) मात्र मानदेय प्रतिमाह निर्धारित है।

   आयु सीमा –01.01.2023 को आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष ।

   आवेदन भरते समय आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

   1. मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक के अंकपत्र वं मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वाभिप्रमाणित।
   2. बी0एड0 के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्वाभिप्रमाणित।
   3. एस0टी0ई0टी0 (पेपर–II) उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वाभिप्रमाणित।
   4. अंतिम डिग्री से संबंधित प्रवेश पत्र की छायाप्रति स्वाभिप्रमाणित।
   5. जाति आरक्षण का लाभ हेतु पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक बिहार सरकार के नौकरीयों के लिए निर्धारित प्रपत्र में क्रिमीलेयर रहित का प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS का प्रमाण–पत्र, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं हो, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती एवं नाती नतीनी होने का प्रमाण पत्र एवं उनके पेंशन का प्रमाण पत्र तथा SC/ST के आवेदक अपने जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वाभिप्रमाणित एवं अवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वाभिप्रमाणित संलग्न करें।
   6. +2 स्तरीय सेवानिवृत शिक्षकों से संबंधित साक्ष्य की छायाप्रति स्वाभिप्रमाणित।
   7. आवेदन के समय के दो रंगीन पासपोर्ट फोटो एवं दो लिफाफे पर अभ्यर्थी का स्थायी/पत्राचार का पता अंकित होना चाहिए।

नोट:– सूचना एवं आवेदन पत्र का प्रारुप N.I.C. के बेवसाइट पर देखा जा सकता है।

18/07/23

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा,बक्सर

कार्यालय: जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर

नियुक्ति प्राधिकार– जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर

पद का नाम – अतिथि शिक्षक

विभागीय संकल्प संख्या– 51 दिनांक– 25.01.2018 के निदेशानुसार एवं निदेश माध्यमिक शिक्षा का ज्ञापांक– 371 दिनांक– 03.07.2023 एवं ज्ञापांक– 400 दिनांक– 12.07.2023 के आलोक में माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय / राजकीयकृत / राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध विषयवार / कोटिवार रिक्ति का विवरण।

क्रम सं0	विषय	कुल रिक्त पद	रोस्टर बिन्दु के अनुसार पदों का विषयवार / कोटिवार विवरण।														दिव्यांग के लिए अनुमान्य पद					स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए अनमान्य पद
			UR	UR (F)	EWS	EWS (F)	EBC	EBC(F)	SC	SC (F)	BC	BC (F)	ST	ST (F)	BC F	Total	VI	DD	OH	MD	Total	
1	Botany	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	Zoology	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	Chem.	4	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	4	1	0	0	0	1	0
4	Phy	5	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0
5	Math	4	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0
6	English	4	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	1
	Total	**19**	**1**	**0**	**1**	**0**	**5**	**1**	**7**	**3**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**19**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1**

1.. दिव्यांग कोटि के लिए पत्रांक – 13062 दिनांक– 12.10.2017 के आलोक में 4 प्रति0 क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।

2. संकल्प सं0 13185 दिनांक– 03.09.2015 द्वारा बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हे केन्द्र सरकार द्वारा पेन्शन स्वीकृत है, के पोता, पोती, नाती, नतनी को नियुक्ति में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय होगा। बिहार सरकार के संकल्प सं0– 963 दिनांक– 20.01.2016 के आलोक में आरक्षित एंव गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय है।

3. रोस्टर पंजी का संधारण सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या– 2622 दिनांक– 26.02.2019 आलोक में निर्धारित आदर्श रोस्टर के अनुसार रोस्टर पंजी का संधारण किया गया है। एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, बक्सर

जिला शिक्षा पदाधिकारी
बक्सर

पत्रांक : 09/नि०मा०शि०-09/2015 ...
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12/07/2023.

विषय : राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय पत्रांक 371 दिनांक 03.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने का निदेश देते हुए जिलावार रिक्ति अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के लिए समेकित रूप से उपलब्ध कराया गया है। संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये जिलावार रिक्ति के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुरूप शिक्षक नियोजन होने तक निर्धारित पारिश्रमिक पर अपने आवश्यकतानुसार विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा लिये जाने की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए समय तालिका निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

क्रमांक	गतिविधि	निर्धारित तिथि
1	संकल्प में अंकित विषयों के लिए अतिथि शिक्षक की सेवा लेने हेतु उपलब्ध करायी गयी रिक्ति के अधीन विद्यालयों से अधियाचना प्राप्त किया जाना।	12 जुलाई, 2023 से 14 जुलाई, 2023
2	विद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर उपलब्ध कराये के रिक्त पदों का सामूहिकीकरण कर रोस्टर तैयार किया जाना।	15 जुलाई, 2023 तक
3	आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन।	16 जुलाई, 2023 तक
4	जिलावार विज्ञापन का प्रकाशन जिला स्तर से किया जाना।	17 जुलाई, 2023 को
5	प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त किया जाना।	17 जुलाई, 2023 से 20 जुलाई, 2023 तक
6	मेधा सूची तैयार करना।	21 जुलाई, 2023 को
7	मेधा सूची का प्रकाशन।	22 जुलाई, 2023 को
8	मेधा सूची पर आपत्ति।	24 जुलाई, 2023 को
9	आपत्तियों का निराकरण।	25 जुलाई, 2023 को
10	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन।	26 जुलाई, 2023 को
11	अंतिम मेधा सूची के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त करना।	27 जुलाई, 2023 से 28 जुलाई, 2023 तक
12	चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करना।	29 जुलाई, 2023 तक
13	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षको आमंत्रित कर योगदान कराना।	30 जुलाई, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक

E:\Sec Edu\Office Letter (SEC DIRECTOR 1010

विभागीय पत्रांक 371 दिनांक 03.07.2023 तथा जिलावार उपलब्ध करायी गयी रिक्ति की प्रति विभागीय वेबसाईट www.educationbihar.gov.in पर भी देखा या डाउन लोड किया जा सकता है।

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/वि0वि0प0स0–09/2015 400 पटना, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपिः सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0)/ सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

Annexure-1

(32)

पत्रांक : 09/बि०वि०प०स०-09/2015 ....

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग।

संकल्प

विषय : राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के सहायक शिक्षकों की आवश्यकतानुसार अनुपलब्धता के कारण उच्च माध्यमिक कक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम विशेषतः अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के अध्यापन कार्य को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लिया जाना आवश्यक है।

2. वर्तमान में राज्य के राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्न तालिका अनुसार विषयवार पद रिक्त है :-

क्र०सं०	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	अंग्रेजी	1041
2	गणित	791
3	भौतिकी	1024
4	रसायनशास्त्र	974
5	प्राणीशास्त्र	137
6	वनस्पतिशास्त्र	290
	कुल:-	4257

3. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त रिक्त पदों पर राज्य के अर्हताधारी बेरोजगार युवक/युवतियों की सेवा अतिथि शिक्षक के रूप में ली जायेगी। इसके लिए निर्धारित अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50 % अंकों के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०एड० अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०एड० की डिग्री। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर-II) में उत्तीर्णता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

E:\Sandesh 2017-18\Govt.-Mis-Lic SS teacher Availbility Sanklk 2017-18.10

(30)

ज्ञापाक : 09/वि०वि०प०स०–09/2015 .... पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापाक : 09/वि०वि०प०स०–09/2015 .... पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उपकोषागार पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी अवकाश रक्षित पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषितं।

ह0/–
सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापाक : 09/वि०वि०प०स०–09/2015 ...51... पटना, दिनांक 25-01-2018

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि गजट के आगामी असाधारण अंक में इसे प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(हस्ताक्षर) 25.1.18
सचिव,
शिक्षा विभाग।

C:\Sankalp 2017-18\Govt.-Han-Ur SS teacher Availability Sankalp 2017-12.12

उच्च माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने हेतु आवेदन पत्र

आवेदन प्रपत्रः—

स्वअभिप्रमाणित फोटो

(क्रम संख्या):—

अतिथि शिक्षक उच्चतर माध्यमिक— प्रशिक्षित [ ] अप्रशिक्षित [ ]

1. जिला का नाम :—..
2. विषय :—..
3. अभ्यर्थी का नाम :—..
4. (क) पिता का नाम :—..
   (ख) माता का नाम :—..
5. जन्म तिथि :—..
6. लिंग :— पुरुष [ ] महिला [ ]
7. 1 ली जनवरी को आयु :— वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]
8. स्थाई पता— ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर..

....

....

थाना.................................... जिला.................................... पिन कोड....................

मोबाईल नं0.. ई—मेल..

9. पत्राचार का पता— ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर..

....

....

थाना.................................... जिला.................................... पिन कोड....................

10. कोटि:— सामान्य [ ] आरक्षित [ ]
11. आरक्षण की कोटि:— अ0ज0 [ ] अ0ज0जा0 [ ] अ0पि0व0 [ ] पि0व0 [ ]
    आर्थिक रुप से कमजोर [ ]
12. यदि विकलांग हो तो—दृष्टि बाधित [ ] श्रवण बाधित [ ] अस्थिजन्य निःशक्त [ ]

योग्यता–

शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता	विद्यालय / महाविद्यालय का नाम	बोर्ड / परिषद् या वि0वि0 का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अध्ययन का विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
माध्यमिक							
उच्चतर माध्यमिक							
स्नातक							
स्नातकोत्तर							
एम0टेक0							
बी0एड0							

13. (क) एस0टी0ई0टी0 उत्तीर्णता का वर्ष एवं क्रमांक :–..............................

(ख) एस0टी0ई0टी0 का उत्तीर्णता का प्राप्तांक एवं प्रतिशत :– ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही है। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कारवाई की जा सकेगी।

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

स्थान..............................

तिथि..............................

प्राप्ति रसीद

श्री / सुश्री / श्रीमती.. विषय..............................
से माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित / राजकीय / राजकीयकृत / राष्ट्रीयकृत / राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा लेने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या.............. है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, पूरा नाम एवं पदनाम